(2)

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

गोविन्दकरण बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ. अपील संख्या 170 / 2018</td><td>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>09.01.19</td><td>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण निवासी 79, हनुवंत बी सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.10.18 में उसके द्वारा (1) एडिशनल सेटलमेंट कमीश्नर राजस्थान जोधपुर द्वारा वर्ष 1956 में कितनी अपीलों का निस्तारण किया गया इन निर्णय किये गये प्रकरणों की सूची व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।
अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम) तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी उपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</td><td></td></tr>
</table>